

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239020
SG-DL-E-23092022-239020

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 427]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944	[N. C. T. D. No. 262

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस –II विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 21 सितम्बर, 2022

सं. फा. 3/07/हेस्मा/2016/गृह पुलिस-II/2014-2024.—जबकि, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार की दिनांक 22.03.2022 की अधिसूचना सं. फा. 3/07/हेस्मा/2016/गृह पुलिस-II/540-551 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करते हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं के रखरखाव हेतु ऐसे कर्मचारियों के हड़ताल को प्रतिबंधित करते हैं । उक्त अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 तक वैध है ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि जन हित में इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले दिल्ली अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल/आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं समीचीन है ।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 526(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 खण्ड – (ii) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता के सभी कर्मचारियों के साथ –साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर दिनांक 24.09.2022 से 23.03.2023 तक अन्य छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
राजन भटनागर, उप सचिव (गृह–IIबी)

HOME POLICE-II DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 21st September, 2022

No. F. 3/07/HESMA/2016/HP-II/2014-2024.—Whereas, vide Home Department, Govt. of NCT of Delhi notification No. F. 3/07/HESMA/2016/HP-II/540-551 dated 22.03.2022, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi declared the services of Ground Handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi as essential services and prohibited the strike of such employees for maintaining services necessary for the people in the National Capital Territory of Delhi. The said notification is valid up to 23.09.2022.

And whereas, the Lt. Governor, Delhi of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by the employees of Delhi International Airport Ltd who provide the service of ground handling at Indira Gandhi International Airport.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 clause (ii) read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526 (E) dated 30.7.93, hereby declares the above said services as essential services and prohibits the strike by all employees of the Ground Handling Service Provider at the IGIA as well as the employees of Delhi International Airport Ltd who provide the services of ground handling at Indira Gandhi International Airport, Delhi for another period of six months w.e.f 24.09.2022 upto 23.3.2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-IIB)